

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली

— प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र श्री मानिक जाति चमार निवासी छावर तह. मासलपुर (गैर खातेदार)
2. देवीराम पुत्र श्री मानिक जाति चमार निवासी छावर तह. मासलपुर(गैर खातेदार) — अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक-14.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 472, 473 रकबा क्रमशः 0-07, 0-16 बीघा ग्राम छावर तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 472, 473 रकबा क्रमशः 0-07, 0-16 बीघा ग्राम छावर सम्बत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी सम्बत् 2049 से 2052 तक के खाता संख्या 154 किस्म बारानी-3 किशनलाल, देवीराम पि. मानिक निवासी छावर के नाम जरिये आवंटन नामांतरकरण संख्या 261 दिनांक 08.05.1990 से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्बत् 2073 से 2076 तक में उपरोक्त भूमि श्री किशनलाल, देवीराम पि. मानिक जाति चमार निवासी छावर तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम गैरखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 472, 473 रकबा क्रमशः 0-07, 0-16 बीघा बाके ग्राम छावर को वापस राजकीय भूमि गै.मु.नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्बत् 2015, 2049-52, 2069-72, 2073-76 नामांतरकरण संख्या 261 दिनांक 08.05.1990 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थीयान को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की सम्यक् तामील होने के उपरांत भी अप्रार्थीयान ना तो उपस्थित हुए और ना ही कोई जवाब पेश किया। अतः अप्रार्थीयान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बहस एकपक्षीय प्रार्थी की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 472, 473 रकबा क्रमशः 0-07, 0-16 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतरकरण संख्या 261 दिनांक 08.05.1990 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 472, 473 रकबा क्रमशः 0-07, 0-16 किस्म बारानी-3 किशनलाल, देवीराम पि. मानिक जाति चमार ग्राम छावर के नाम आवंटन होकर खोतदारी में दर्ज रिकार्ड हो गयी है जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 195 में भी अप्रार्थीयान के नाम गैरखातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की

भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम छावर की आराजी खसरा नंबर 472, 473 रकबा क्रमशः 0-07, 0-16 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

